

81/18
25/5/18

UB
24/5/18

Handwritten signature in a circle

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

.....
.....

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

राजस्व लोक सहायता अभियान :
नया अभियान डार- 2018
एत आयोजित शिविर में पंजीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सराइयो का लला की जमाबन्दी

संवत् 2072-75 खाता संख्या 27 में -

मेरा नाम अमाराम पुत्र उत्तमराज दर्ज है जबकि
वास्तव में मेरा नाम ओमप्रकाश पुत्र उत्तमराज है
अतः श्रीकमिश्नर के निवेदन हैं कि
मेरा नाम जमाबन्दी में अमाराम ही जमा
ओमप्रकाश दर्ज करावे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

मेरे, उत्तमाराज पुत्र अमाराज आदिजारे

निवासी डीपला वापस रूप में जमाबन्दी ओमप्रकाश

है कि ओमप्रकाश मेरा पुत्र है। इसका प्रार्थी

वास्तविक नाम ओमप्रकाश है इसलिए

राजस्व अभिलेख में उमाराम के स्थान पर

ओमप्रकाश वापु उत्तमाराज दर्ज करवाने की

सिफारिश करती हूँ।

दिनांक


उकाला ७ १०/१८

२५/५/१८

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir, निवेदन है कि गांव सराईयां के तलाजमाबगी-चौसाला
संवत् २०७२ to २०७५ के बाला संख्या २७ में अर्थात् का उमराराम
पुत्र उत्तमाराम नावालिंग की वलीया धूरीदेवी जोजे उत्तमाराम जाठे जाट दर्ज
के छिन अर्थात् का नाम आधार, पेन कार्ड, उच्च माध्यमिक मार्क लिस्ट में ओम प्रकाश
श्री उत्तमाराम दर्ज है। अतः अर्थात् का नाम गांव सराईयां के तलाजमाबगी-चौसाला संवत्
२०७२ to २०७५ के बाला सं- २७ में उमराराम श्री उत्तमाराम नावालिंग की
वलीयां माता धूरीदेवी जोजे उत्तमाराम के स्थान पर ओम प्रकाश पुत्र
उत्तमाराम नाम दुरस्ती छिपे जाने की अनुशाखा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार


२५/५/१८

पटवारी व भू.अ. निरीसक की जांच रिपोर्ट एवं
अर्थात् के पिता के लपाने व सलगन साक्ष्य दस्तावेजों
के आधार पर अर्थात् का नाम "उमराराम पुत्र
उत्तमाराम" के स्थान पर "ओम प्रकाश पुत्र
उत्तमाराम" दुरस्त करने की अनुशाखा की
जाती है।

(म)ना
R/...

२५/५/१८ आदेश
तहसीलदार (भू.अ.) सेइवा

तहसीलदार सेइवा, I/R बूझान का तला, पटवारी क्षेत्र में अंतर्गता लिखा है।
जांच रिपोर्ट तथा अर्थात् द्वारा जमा जमा के आधार पर अर्थात् का अर्थात् का (जो कर
का अर्थात् का नाम "उमराराम पुत्र उत्तमाराम" के स्थान पर शुद्ध नाम ओम प्रकाश
पुत्र उत्तमाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में अर्थात् का अर्थात् का तहसीलदार सेइवा को आदेश
दिया जाता है। पत्रावली जिसल शुभार्थ होकर दाखिल दफ्तर हो।




उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीहटन